भाग III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	14	नहीं
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, लटेरी–मुंडेला–नजीराबाद मुख्य जिला मार्ग का पुर्ननिर्माण/उन्नयनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र दक्षिण लटेरी के वनकक्ष क्रमांक पी 401, पी 402, पी 367, पी 383 की 6.470 हे0 एवं परिक्षेत्र उत्तरा लटेरी के वनकक्ष क्रमांक पी 410 की 1.800 हे0 कुल 8.270 हे0 वनभूमि, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा को उपयोग पर देने के लिये, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि :– 18.10. 2021

स्थानः भोपाल

नाम

सरकारी मोहर

(रविन्द्र सक्सेना)

मुख्य वन संरक्षक

भोपाल वृत्त भोपाल

E:/cf act year 2012/FCA-1980 proforma.doc

Scanned by CamScanner

कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

क्रमांक / मा.चि. / 2035

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
भू–प्रबंध
म0प्र0 भोपाल

विषयः– **विदिशा जिले के अंतर्गत लटेरी–गुंडेला–नजीराबाद मुख्य जिला मार्ग का पुर्ननिर्माण/उन्नयनीकरण हेतु वनमंडल विदिशा की 8.270 है0, वनभूमि, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा** को उपयोग पर देने बावत्। **(ऑन लाईन आवेदन क्रमांक / FP/MP/ROAD/41589/2019)**

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा का पत्र क्रमांक / माचि / 1764 दिनांक 5 / 10 / 21

---0---

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा ने उनके संदर्भित पत्र द्वारा **लटेरी–मुंडेला–नजीराबाद मुख्य जिला मार्ग का पुर्ननिर्माण/उन्नयनीकरण हेतु** वनमंडल विदशा के वन परिक्षेत्र दक्षिण लटेरी के वनकक्ष क्रमांक पी 401, पी 402, पी 367, पी 383 की 6.470 हे0 एवं परिक्षेत्र उत्तरा लटेरी के वनकक्ष क्रमांक पी 410 की 1.800 **हे0 कुल 8.270 हे0 वनभूमि, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा को उपयोग पर देने बावत्,** वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु , ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार **व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं ।**

प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल **कुल 8.270 हेक्टेयर वनभूमि** के बदले, क्षतिपूर्ति वनीकरण, वनमंडल विदिशा की परिक्षेत्र लटेरी उत्तर अंतर्गत तहसील लटेरी प.ह..न. 29, के ग्राम कोलुआ पठार, खसरा क्रमांक **101/01/01 की भूमि में से प्राप्त 8.270 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर किया जाना प्रस्तावित किया गया हैं।**

इस हेतु वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल विदिशा के पत्र क्रमांक/माचि/1313 दिनांक 2/8/21 से परिक्षेत्र लटेरी उत्तर अंतर्गत प्राप्त उपरोक्तानुसार ग्राम कोलुआ पठार, खसरा क्रमांक **101/01/01 की 8.270 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्तुत स्थल विशेष की 11 वर्षीय (वर्ष 2021–22 से 2031–32 तक) वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना, राशि रू 42,06,082/– की तकनीकी स्वीकृति कार्यालयीन आदेश क्र./माचि/182 दिनांक 10/08/2021 द्वारा जारी की जा चुकी हैं, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।**

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, **सहमति सहित दो** प्रति में आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।
संलग्नः–यथावर्णित।

(रविन्द्र सक्सेना)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 2036

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूम्बर 2021

प्रतिलिपिः–

1. वनमंडलाधिकारी, सा0 वनमंडल विदिशा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
2. **कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

12.10.21

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2021.doc

Scanned by CamScanner